JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बैंकों के संविलियन का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव –एक अध्ययन

डॉ. योगेश खण्डेलवाल
सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य)
श्शा. कुसुम महाविद्यालय, सिवनी मालवा
जिला – नर्मदापुरम (म.प्र.)

भारत में बैंकों का संविलयन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। बैंकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु अपनाई जाने वाली संविलियन की प्रक्रिया का एक लम्बा इतिहास रहा है। बैंकों के विलय की प्रक्रिया को समय–समय पर देश–विदेश में बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु अपनाया जाता रहा है। बैंकों की स्थिति को सुधारने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारत में बैंक विलय की प्रक्रिया 1960 के दशक में शुरू हुई थी।

प्रस्तुत शोधपत्र भारत में बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संविलियन के औचित्य एवं उसकी उपयोगिता पर आधारित है। शोधार्थी का उद्देश्य इस शोधपत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के संविलियन के पश्चात् उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।

शब्द–कुंजी – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संविलियन – अवधारणा, आवश्यकता और प्रभाव।

प्रस्तावना –

बैंकिंग का इतिहास सभ्यताओं के विकास के साथ ही माना जा सकता है। सन् 1950 के पूर्व सम्पूर्ण विश्व में बैकिंग क्षेत्र का संचालन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा ही किया जा रहा था। भारत में यूरोपियों विशेषकर अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र में कुछ तेजो आई, किन्तु यह संस्थान पूर्णतः ब्रिटिश हितों एवं ब्रिटिश कंपनियां के लिये ही सेवाएँ दे रहे थे। यही स्थिति बाद में भारतीय बैंकिंग संस्थानों में भी देखी गई। स्वतंत्रता के पश्चात् भी बैंकों की मानसिकता एवं कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं आया। स्वतंत्रता क समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तथा संसाधन सीमित थे। स्वतंत्रता के पश्चात् जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं

हुआ, भारत की 80 प्रतिशत पूंजी निजी बैंकों के पास ही थी, साथ ही इन संस्थानों का भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने में कोई योगदान नहीं था।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 60 प्रतिशत हिस्सा ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1969 में देश के 14 बैंकों का और वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दशक में बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई, किन्तु 21वीं सदी के प्रारंभ में कई राजनीतिक परिवर्तनों ने बैंकिंग क्षेत्र को पुनः घाटे की स्थिति में ला दिया। बैंकों को घाटे की स्थिति से उबारने हेतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ समय–समय पर उनके संविलियन का निर्णय भी लिया जाता रहा है।

भारत में बैंकों के संविलियन की आवश्यकता –

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि बैंकों को नई जनरेशन के अनुरूप बनाया जाये। इसके लिये सरकार समय–समय पर नवाचार करती रही है। इन नवाचारों में बैंकों का संविलियन आर्थिक सुधार हेतु एक ठोस कदम माना जा सकता है।

भारत में बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो उच्च गैर–निषदित परिसम्पत्ति, कम लाभ और पूंजो की कमी सहित अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन बैंको को चालू रखने के लिये सरकार द्वारा पूंजी की व्यवस्था की जा रही है, हांलाकि बैंकों की संरचनात्मक समस्याओं क समाधान हेतु यह पूंजी पर्याप्त नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिये सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के एकीकरण पर जोर दिया है। बैंकों का संविलियन एक ऐसा ही प्रयास है, जो बैंकिंग क्षेत्र क समग्र आर्थिक विकास में सुधार कर सकता है।

भारत में बैंकों के संविलियन की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्न हैं –

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संविलियन से एंकर बैंक की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता आयेगी।
2. देश के बड़े सार्वजनिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेंगे।
3. बैंकों के विलय से उनकी परिचालन लागत में कमी आयेगी।

4. बैंकों के संविलियन के प्रभाव से बैंकों का गैर–निष्पादित सम्पत्तियों का प्रबंधन और भी अधिक कुशल हो सकेगा।
5. बैंकों के मध्य चल रही नकारात्मक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकेगी।
6. भारत की बैंकिंग प्रणाली भारत को 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेगी।

भारत में बैंकों के संविलियन का इतिहास –

वर्ष 1969 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने देश की बैंकिंग प्रणाली को पूर्णतः बदलते हुए देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वर्ष 1969 के बाद वर्ष 1980 में भी देश के 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

भारतीय बैंक संघ के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 1985 से अब तक देश में छोटे–बड़े कुल 49 बैंकों का विलय हो चुका हैं। देश के कुछ महत्वपूर्ण बैंक विलय निम्नानुसार हैं –

1. वर्ष 1993–94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय किया गया था, उल्लेखनीय है कि यह देश का पहला दो राष्ट्रीय बैंकों का विलय था।
2. वर्ष 2004 में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय।
3. वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक का विलय।
4. वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय।
5. 1 जनवरी 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय।
6. 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय।

अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संविलियन का उद्देश्य बैंकों की संचालन लागत को कम करना तथा उनकी ऋण देने की क्षमता में वृद्धि करते हुए उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। केन्द्र सरकार के बैंकों क संविलियन सम्बंधी निर्णय से वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है।

भारत में बैंकों के संविलियन का प्रभाव –

जब दो या अधिक बैंक संविलियन के माध्यम से एक होते हैं, तब उनकी कुल परिसम्पत्ति में वद्धि होती है, जिससे एंकर बैंक की ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। भारत में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संविलियन के पीछे यह तर्क दिया जाता ह कि इससे उनकी परिचालन लागत कम हो जायेगी, जिसके प्रभाव से गैर–निष्पादित सम्पत्तियों का प्रबंधन और भी कुशलता से हो सकेगा तथा भारतीय बैंक की वित्तोय स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा बैकिंग सुधार के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संविलियन सम्बंधी निर्णय के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे देश के बड़े सार्वजनिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो सकेंगे तथा देश की बैंकिंग प्रणाली भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेगी। प्राथमिक अवलोकन में इसके प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने से पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक शाखाओं के मामले में भी पंजाब नेशनल बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी 11,437 शाखाएं हैं।

सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय होने से केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जिसका कारोबार 15.20 लाख करोड़ रूपये तथा शाखाएं 9,585 हो गई हैं। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के विलय से पूर्व वर्ष 2013 में केनरा बैंक की लगभग 3600 शाखाएं थीं तथा इसका कारोबार 5.98 लाख करोड़ रूपये था।

आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का पांचवा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जिसका कारोबार 14.59 लाख करोड़ रूपये तथा शाखाएं 9,609 हो गई हैं।

इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होने से इंडियन बैंक देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जिसका कारोबार 8.08 लाख करोड़ रूपये तथा शाखाएं 6,104 हो गई हैं।

देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होने से बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जिसका कारोबार 14.82 लाख करोड़ रूपये हो गया है।

निष्कर्ष –

भारत में बैंकों के संविलियन के सबसे अंतिम उदाहरण देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में संविलियन तथा सिंडीकेट बैंक का केनरा बैंक में संविलियन है। बैंकों के संविलियन से बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ सकती है, क्योंकि एंकर बैंक के पास संसाधनों की अधिक उपलब्धता होगी और परिणामस्वरूप ग्राहक लागत कम होगी। अधिक संसाधनों के साथ

बैंक गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे तथा प्रौद्योगिकी, जैसे डिजीटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि का भी अनुकूल उपयोग हो सकेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर–निष्पादित सम्पत्तियों की दर काफी अधिक है। बैंकों के संविलियन का निर्णय लिये जाने के पीछे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। निजी क्षेत्र के बैंकों में यह दर काफी कम है, क्योंकि उन्होंने अपने ऋण की वसूली के लिये कठोर नियमों को अपनाया हुआ है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी अपनी ऋण वसूली की प्रक्रिया को सख्त बनाना चाहिये। संविलियन के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से यही अपेक्षा है कि आधुनिक युग को बदलती आवश्यकताओं के साथ स्वयं भी बदलने का प्रयास करेंगे और देश की बैंकिंग प्रणाली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

संदर्भ –

1. योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, 2021–22 ,2022–23